8/8/22

To Construct the New Building of Bus stand

29 **SHRI. SITA RAM YADAV (Ateli)** Will the Transport Minister be pleased to state:-

(a) whether it is a fact that the building of Kanina Bus Stand has been damaged completely; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a new building of bus stand on the place of said building togetherwith the time by which it is likely to be constructed ?

MOOLCHAND SHARMA, TRANSPORT MINISTER, HARYANA

a) Yes Sir. The Building of bus stand Kanina has been damaged and declared unsafe for public use.

b) The building of bus stand Kanina has been declared condemned by Executive Engineer, PWD (B&R), Narnual on 22-10-2021. An estimate of Rs. 12,94,000/- is prepared by PWD (B&R) for dismantling the structure of building of bus stand Kanina. Administrative approval for dismantling the old structure has been given by the department. The New bus stand will be constructed on same site after dismantling the existing structure and getting the drawings/estimates from the Chief Architect, Haryana as well as from PWD (B&R).

बस अड्डे के नए भवन का निर्माण करना

29 **श्री. सीता राम यादव (Ateli)**

क्या परिवहन मंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या यह तथ्य है कि कनीना बस अड्डे का भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हैय तथा

ख) यदि हां, तो क्या उक्त भवन के स्थान पर बस अड्डे के नए भवन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा इसके कब तक निर्मित किए जाने की संभावना है?

मूलचन्द शर्मा, परिवहन मंत्री, हरियाणा

(क) जी श्रीमान्। बस अड्डे कनीना की इमारत क्षतिग्रस्त है एवं सार्वजनिक उपयोग के लिए असुरक्षित घोषित कर दी गई है।

(ख) बस अड्डे कनीना की इमारत को **22.10.2021** को कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), नारनौल द्वारा नकारा घोषित कर दिया गया है। बस अड्डे कनीना के भवन को ध्वस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) द्वारा **12,94,000/-** रूपये की राशि का अनुमान तैयार किया गया है। विभाग द्वारा पुराने ढांचे को तोड़ने की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी गई है। नए बस अड्डे का निर्माण मौजूदा बस अड्डे के भवन को ध्वस्त करने और मुख्य वास्तुकार, हरियाणा और लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) से ड्राईंग/अनुमान प्राप्त होने उपरांत मौजूदा स्थान पर किया जाएगा।